न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : सम्पदा प्रक. 12/2017 .... [illegible] .... बनाम [illegible] ....

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12-4-18	बहस सुनी गई। आदेश लिखाये गये। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। आवास संख्या 13/III/बी गांधीनगर, जयपुर से अप्रार्थी अथवा जिस किसी के अनाधिकृत रूप से कब्जे में है, को बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। ESTATE OFFICER (Addl. District Magistrate Judl.) JAIPUR	[illegible] 852 23-4-18

न्यायालय सुनील भाटी, आर.ए.एस. सम्पदा अधिकारी एवं अति0 कलक्टर (न्याय), एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर

प्रकरण सख्याः 12/2017

राजस्थान सरकार जरिये संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर (राजस्थान)।

प्रार्थी,

बनाम्

सुखपाल सिंह, पूर्व परिवीक्षा अधिकारी, निवासी–13/तृतीय/सी, गांधीनगर, जयपुर (राजस्थान)।

अप्रार्थी,

(परिवाद अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 बाबत् राजकीय आवास संख्या 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर का कब्जा दिलाने।)

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप सिंह चौहान, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय बहस समाअत की गई।

निर्णय दिनांकः 12.04.2018

प्रार्थी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड तृतीय मुख्यालय जयपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि आवास संख्या 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय सम्पति है, जिसे अप्रार्थी श्री सुखपाल सिंह को राजकीय आवास आंवटन नियम,1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.3(1)सा.प्र./2/2011 पार्ट–I जयपुर दिनांक 06.02.2012 द्वारा आवन्टित किया गया हैं। किराये पर आवंटी अप्रार्थी श्री सुखपाल सिंह की सेवाएँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प.1(5)(81)जांच/सान्याअवि/14/1857 दिनांक 02.12.2014 के द्वारा सेवा से Dismiss किया जा चुका है। Dismiss किये जाने के

पश्चात् निर्धारित अवधि के बाद भी आवास को रिक्त कर कब्जा नहीं संभलाया है, जबकि आवास रिक्त किये जाने हेतु समुचित रुप से अप्रार्थी को ताकीद की गई है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी से राजकीय आवास सं0 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराया जाकर वास्तविक कब्जा दिलाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं इसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन पर प्रथम–दृष्ट्या यह समाधान होने पर कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय है और इसमें आवंटी अप्रार्थी द्वारा अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा हैं। अधिनियम,1964 की धारा 4(1) के सपठित राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) नियम,1966 में निर्धारित प्ररुप ''क'' में अप्रार्थी के निमित दिनांक 16.11.2017 को नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील होने पर अप्रार्थी स्वयं न्यायालय में हाजिर आये और जवाब प्रस्तुत किया। वरवक्त बहस अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की बहस समाअत की गई है।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय आवास संख्या 13/III/सी है, जो गांधीनगर में स्थित है। इस राजकीय आवास को राजकीय आवास आवंटन नियम,1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी को सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.3(1)सा.प्र./2/2011 पार्ट–I जयपुर दिनांक 06.02.2012 द्वारा आवन्टित किया गया है और इस आवंटन नियम,1958 के प्रावधानानुसार आवंटी को Dismiss के परिणाम– स्वरुप निर्धारित अवधि के पश्चात आवास को रिक्त कर कब्जा सम्भलाया जाना आवश्यक है, किन्तु Dismiss के पश्चात् निर्धारित अवधि गुजरने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 20.07.2017 को लिखित नोटिस दिया है जिसका कोई जवाब नही दिया है एवं समुचित रुप से ताकीद करने के पश्चात भी राजकीय आवास को रिक्त कर वापिस सम्भलाया नही गया हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर में अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा है। अप्राधिकृत रुप से अधिवासित अप्रार्थी सुखपाल सिंह के निमित सम्पदा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की तामील अप्रार्थी को हुई हैं। अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया है। जिसमें कोई सार नही है। संबधित विभाग द्वारा अप्रार्थी की सेवाएँ Dismiss की गई है। इसके पश्चात् आवास को रिक्त करने का नोटिस

दिया गया है। इसके बावजूद भी आवास को रिक्त नही किया गया है। अप्रार्थी जब राजकीय आवास आवन्टन नियम,1958 के अन्तर्गत आवास आवन्टन हेतु पात्र था तब आवास का आवन्टन किया गया है परन्तु संबधित विभाग द्वारा अप्रार्थी की सेवाएँ Dismiss की जा चुकी है तो अब अप्रार्थी राजकीय आवास का उपभोग करने का पात्र नही है। Dismiss के आदेश को चुनौती दिया जाना जाहिर किया है और अपील दिनांक 04.06.2015 को अस्वीकार होना भी स्वयं अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है जिसके विरूद्ध माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष दिनांक 20.09.2015 को किया जाना जाहिर किया है परन्तु किसी सक्षम प्राधिकारी की स्थगन आज्ञा नही है। अप्रार्थी ने अपने जवाब दिनांक 04.12.2017 के संलग्न प्रस्तुत किये पत्र दिनांक 06.09.2017 में स्वयं ने नवम्बर 2017 तक का समय मांगा है जो भी गुजर चुका है। इसके बावजूद भी आवास को रिक्त नहीं किया गया है। अप्रार्थी के इस कथन में कोई सार नहीं है कि अप्रार्थी द्वारा समस्त पत्राचार हेतु राजकीय आवास का पता अंकित किया हुआ है। राजकीय आवास हेतु अपात्र होने पर अन्य स्थान पर आवास की व्यवस्था कर नया पता दर्ज कराने हेतु स्वयं अप्रार्थी उत्तरदायी है। अप्रार्थी राजकीय आवास पर अनाधिकृत रूप से काबिज है। अतः अप्रार्थी से रिक्त कराया जाकर प्रार्थी को कब्जा दिलाया जावे।

हमने लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के नोटिस क्रमांक प.4(1)सा.प्र./2/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 20.07.2017 के अवलोकन से जाहिर होता है कि गांधीनगर, जयपुर स्थित आवास संख्या 13/III/सी सरकारी आवास है, राजकीय आवास आंवन्टन नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार किराये पर आंवन्टी अप्रार्थी सुखपाल सिंह को Dismiss किये जाने की तिथि से दो माह पश्चात् आवास को रिक्त करना था परन्तु दो माह की अवधि से भी अधिक होने के पश्चात् आदिनांक तक आवास को रिक्त नही किया है। अप्रार्थी को आवास संख्या 13/III/सी रिक्त कर कब्जा सम्भलाये जाने हेतु प्रार्थी पक्ष द्वारा समुचित रूप से सूचित किया गया है, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2)विभाग के नोटिस दिनांक 20.07.2017 को प्राप्त करना अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। जवाब के संलग्न प्रस्तुत किये गये पत्र दिनांक 06.09.2017 में विभागीय आदेश की पालना किये जाने हेतु नवम्बर, 2017 तक का समय चाहा गया है। अप्रार्थी द्वारा चाही गई अवधि के

गुजरने के बावजूद भी अप्रार्थी ने आवास संख्या 13/III/सी को रिक्त कर वापिस सम्भलाया नही है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया जाना कि अप्रार्थी द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को विभाग के आदेश की अपील की हुई है, आवंटित आवास पर कब्जा बनाये रखने के लिए वैध कथन नही है। अप्रार्थी को Dismiss किये जाने के विभाग के आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम प्राधिकारी से स्थगन आज्ञा नहीं है। ऐसी स्थिति में राजकीय आवास पर अप्रार्थी का कब्जा साधिकार नहीं पाते है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जो प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हो । अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध है कि आवास संख्या 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर राजकीय सम्पति है और अप्रार्थी सुखपाल सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प.1(5)(81)जांच/सान्यावि/14/1857 दिनांक 02.12.2014 के द्वारा सेवा से Dismiss होने के दो माह पश्चात् रिक्त कर कब्जा सम्भलाया नही गया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर पर अप्राधिकृत रूप से अधिवास किया जा रहा है, प्रार्थी, राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवास संख्या 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराये जाने हेतु पात्र है। अतः राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम,1964 की धारा 5 के अन्तर्गत आवास संख्या 13/III/सी से अप्रार्थी अथवा जिस किसी के अनाधिकृत रुप से कब्जे में है, को बेदखल किया जाता है और अनाधिकृत रुप से काबिज को निर्देश दिये जाते है कि वे गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय आवास संख्या 13/III/सी को 15 दिवस में रिक्त कर प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को कब्जा सम्भला दे। प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को आदेश दिये जाते है कि आवास संख्या 13/III/सी गांधीनगर, जयपुर के बाहर दरवाजे पर आदेश की एक प्रति चस्पा करें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

Estate Officer, Addl. District Magistrate (Jpur) JAIPUR

(सुनील भाटी)
ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Judl.)
JAIPUR